निगरानी 2515-I-15

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर संभाग

भगवानदास तनय घनश्याम दास कुशवाहा

निबासी–ग्राम पठा, तहसील, जिला टीकमगढ़ म0प्र0 .....आवेदक

व्नाम

1– कूरा तनय बंदू वंशकार , 2– जूजू तनय बंदू वंशकार

3– कन्हैया तनय बंदू वंशकार , 4– हीरालाल तनय बंदू वंशकार

निबासी ग्राम पठा, तहसील, जिला टीकमगढ़ म0प्र0 .....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959 :–

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है:–

1– यह कि आवेदक यह निगरानी न्यायायल अपर कलेक्टर महोदय जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0 क0 43/निगरानी/2007–08 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 08/06/2015 से परिवेदित होकर कर रहा है, जो समय सीमा में है तथा माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा अपने ग्राम पठा भाटा स्थित भूमि खसरा नं0 904 रकवा 0.085 है0 , 905 रकवा 1.011 है0 , 906 रकवा 1.259 है0 का सीमांकन कराने बावद नायब तहसीलदार समर्रा के न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया होगा। जिसके आधार पर नायब तहसीलदार के आदेश पर सीमांकन किया जाना बताया जाकर राजस्व निरीक्षक समर्रा द्वारा अपने प्रतिवेदन सहित फील्ड बुक व पंचनामा प्रस्तुत किया , जिसे नायब तहसीलदार द्वारा पुष्ट कर दिया गया। जिससे परिवेदित होकर एक निगरानी अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत की थी। जो उनके द्वारा म्याद के बिन्दु पर निरस्त कर दी गई । जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

निगरानी के आधार

3– यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित काने से पूर्व इस बात को नजर अंदाज किया है कि शिकायत होने पर सीमांकन को

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 2515-I/2015 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4.1.16	प्रकरण में निगरानीकार के विद्वान अधिवक्ता के ग्राह्यता पर तर्क सुने गए एवं उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन किया गया। तर्क में विद्वान अधिवक्ता ने यह कहा है कि उनकी आपत्ती का निराकरण किए बगैर विचारण न्यायालय ने सीमांकन की पुष्टि कर उनका अवैध कब्जा गैर-निगरानीकार पक्ष की भूमि पर बताया गया है जो सही नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण को विलम्ब के बिन्दु पर खारिज किया जाना गलत है। इस आधार पर निगरानी ग्राह्य करने का निवेदन किया। अपर कलेक्टर के आक्षेपित आदेश दि. 8.6.15 के परिशीलन से मैं यह पाता हूँ कि उन्होंने अपने न्यायालय का निगरानी प्रकरण केवल विलम्ब के आधार पर समाप्त किया है। उन्होंने	
4.1.16		

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

इस आदेश में यह निष्कर्ष लिखा है कि दोनों बार सीमांकन की कार्यवाही में निगरानीकार के हस्ताक्षर हैं, जिससे उन्हें इस कार्यवाही की जानकारी नहीं होना मान्य नहीं किया जा सकता, अतः विलम्ब माफी योग्य नहीं है। यह आधार लेते हुए अपर कलेक्टर ने निगरानी आवेदन उनके न्यायालय में लगभग 8 वर्ष लंबित रहने के बाद, बगैर गुणदोष की विवेचना या विचार के, अमान्य कर दिया है।

निगरानीकार के अभिभाषक ने तर्क के दौरान जो आपत्ती आवेदन दि. 21.6.07 की प्रति उपलब्ध कराई है, उसमें विभिन्न बिन्दु उठाए गए हैं, जैसे कि अप्रत्यक्ष रीति के कारण सीमा की सीध मिलाने में त्रुटि होना, स्थाई सीमाचिन्हों का आधार नहीं लिया जाना, आदि। अपर कलेक्टर के आक्षेपित आदेश

4.1.16

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 2515-I/2015 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	मैं इस पर 8 वर्ष प्रकरण लंबित रखने के उपरान्त, कोई विचार नहीं किया जाना, प्रथमदृष्टया सही प्रतीत नहीं होता। अतः, मैं उपर कलेक्टर-टीकमगढ़ को यह निर्देश देता हूँ कि वे अपने न्यायालय के. प्र.क्र. 43/निगरानी/07-08 को पुनः खोलकर इसमें नए सिरे से, निगराकार की आपत्ती के विभिन्न बिन्दुओं को विचार में लेते हुए एवं उनपर अपना अभिमत एवं निष्कर्ष अभिलिखित करते हुए, बोलता हुआ आदेश पारित करें। ऐसा आदेश वे (अपर कलेक्टर) उन्हें रा. मं. के इस आदेश की संसूचना के अधिकतम 6 सप्ताह के भीतर पारित करें। तब तक के लिए	

4.1.16

[कृ. प. उ.

R.2591/1/15 टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	उनका आक्षेपित आदेश दि. 8-6-15 प्रभावहीन रहेगा। आदेश पारित। पक्षकार एवं अपर कलेक्टर, टीकमगढ़ सूचित हों। प्रकरण समाप्त। दा.द. हो। 4.1.16 (सदस्य)	

शाक्षेमुग्वा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.